

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/644

प्रार्थी

1 छगनाराम पुत्र मोतीराम  
जाति सुथार निवासी  
आईदानसरा, बेरीवाला  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर

बनाम

1 खेराजराम पुत्र वीरमाराम 2 मूलाराम पुत्र  
सोनाराम 3 गंगाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट 4  
जीयाराम 5 ठाकराराम पिसरान मोतीराम 6  
मूलाराम पुत्र वीरमाराम जाति सुथार निवासी  
आईदानसरा, बेरीवाला तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।

दिनांक - 13.02.2025

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 509/2024

दिनांक- 06/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आईदानसरा पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 993/724 रकबा 3.0756 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

*(Handwritten Signature)*

( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/645-48

दिनांक- 12.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी छगनाराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार निवासी आईदानसरा, बेरीवाला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण खेराजराम पुत्र वीरमाराम, जाति जाट निवासी आईदानसरा, बेरीवाला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

*(Handwritten Signature)*

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर